NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Hindu, Bengaluru, 13/03/2026

Page No: 5, Size: 9.90cm × 29.16cm

High Court orders judicial magistrate probe into Hubballi encounter death

The Hindu Bureau
BENGALURU

The High Court of Karnataka has ordered an inquiry by a judicial magistrate into the death of a migrant worker in a police encounter in Hubballi on April 13, 2025 after he was arrested on charges of allegedly raping and murdering a five-year-old girl.

A Division Bench, comprising Chief Justice Vibhu Bakhru and Justice C.M. Poonacha, passed the interim order on a PIL petition filed by the People's Union of Civil Liberties (PUCL), Karnataka.

Ritesh Kumar, 35, a migrant worker from Bihar, was shot dead after he allegedly tried to strangle a woman police constable while trying to escape from police custody.

The court on April 15, 2025 directed the State government to follow scrupulously the guidelines issued by the Supreme Court in 2014 regarding the deaths of accused/suspected persons in police encounters. However, it was argued on behalf of the petitioner that a separate first information report (FIR) should have been registered on the incident of death in the encounter by naming the police officers/ personnel involved in the encounter, in addition to the FIR registered against the accused person, and a judicial inquiry into the death in encounter should be conducted as per apex court's 2014 guidelines.

Advocate-General K. Shashi Kiran Shetty told the Bench that the State government had no objection to conduct a judicial inquiry, while pointing out that the government did refer the case for conduct of an inquiry by a judicial magistrate, but the reference was rejected due to misreading of the apex court's guidelines.

The Advocate-General, however, said that there was no need to register a separate FIR or naming the police officers/ personnel in the FIR as the incident of encounter was officially recorded and the investigation into the cause of death of the accused person while in the police custody was referred to the Criminal Investigation Department. "There is no cavil that an inquiry be conducted by a judicial magistrate," the Bench observed on noting the apex court's guidelines.

The Bench also said that the judicial magistrate concerned should bear in mind the guidelines issued by the National Human Rights Commission for conducting an inquiry in cases of death in custody or in the course of police action. The report of the inquiry by the judicial magistrate has to be submitted to the court on June 8, the next date of hearing on the petition.

Hindu, Chennai, 13/03/2026
Page No: 9, Size: 9.66cm × 16.43cm

Hubballi encounter death: Karnataka HC orders inquiry

The Hindu Bureau
BENGALURU

The Karnataka High Court has ordered an inquiry by a judicial magistrate into the death of a migrant worker in a police encounter in Hubballi on April 13, 2025 after he was arrested on charges of allegedly raping and murdering a five-year-old girl.

A Division Bench, comprising Chief Justice Vibhu Bakhru and Justice C.M. Poonacha, passed the interim order on a PIL petition filed by the People's Union of Civil Liberties (PUCL), Karnataka.

Ritesh Kumar, 35, a migrant worker from Bihar, was shot dead after he allegedly tried to strangle a woman police constable while trying to escape from police custody.

The court on April 15 directed the State government to follow scrupulously the guidelines issued by the Supreme Court in 2014 regarding the deaths of accused/suspected persons in police encounters.

However, it was argued on behalf of the petitioner that a separate first information report (FIR) should have been registered on the incident of encounter death by naming the police officers/personnel involved, in addition to the FIR registered against the accused person, and a judicial inquiry into the encounter should be conducted as per the apex court's 2014 guidelines.

The Bench directed the judicial magistrate concerned to bear in mind the National Human Rights Commission guidelines for conducting an inquiry in cases of custodial death.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Hindu, Mumbai, 13/03/2026

Page No: 5, Size: 9.37cm × 22.60cm

Hubballi encounter death: Karnataka HC orders inquiry

The Hindu Bureau
BENGALURUZ

The Karnataka High Court has ordered an inquiry by a judicial magistrate into the death of a migrant worker in a police encounter in Hubballi on April 13, 2025 after he was arrested on charges of allegedly raping and murdering a five-year-old girl.

A Division Bench, comprising Chief Justice Vibhu Bakhru and Justice C.M. Poonacha, passed the interim order on a PIL petition filed by the People's Union of Civil Liberties (PUCL), Karnataka.

Ritesh Kumar, 35, a migrant worker from Bihar, was shot dead after he allegedly tried to strangle a woman police constable while trying to escape from police custody.

The court on April 15 directed the State government to follow scrupulously the guidelines issued by the Supreme Court in 2014 regarding the deaths of accused/suspected persons in police encounters.

However, it was argued on behalf of the petitioner that a separate first information report (FIR) should have been registered on the incident of encounter death by naming the police officers/personnel involved, in addition to the FIR registered against the accused person, and a judicial inquiry into the encounter should be conducted as per the apex court's 2014 guidelines.

Advocate-General K. Shashi Kiran Shetty told the Bench that the State government had no objection to conduct a judicial inquiry, while pointing out that the government did refer the case for conduct of an inquiry by a judicial magistrate, but the reference was rejected due to misreading of the apex court's guidelines.

Separate FIR

The Advocate-General, however, said that there was no need to register a separate FIR or naming the police officers/ personnel in the FIR as the incident of encounter was officially recorded and the investigation into the cause of death of the accused person while in the police custody was referred to the Criminal Investigation Department.

The Bench directed the judicial magistrate concerned to bear in mind the National Human Rights Commission guidelines for conducting an inquiry in cases of custodial death.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Aaj, Patna, 13/03/2026

Page No: 5, Size: 12.36cm × 16.09cm

सीयूएसबी में प्रथम एनएचआरसी-सीयूएसबी राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का शुभारंभ

टिकारी (आससे)। दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालयके स्कूल आफ लॉ एंड गवर्नेंसकी मूट कोर्ट सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सहयोग से आयोजित प्रथम एनएचआरसी-सीयूएसबी राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता, 2026 का भव्य उद्घाटन गुरूवारको विश्वविद्यालय परिसर में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. कामेश्वर नाथ सिंह तथा मुख्य अतिथिके रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग, ने कार्यक्रम का शुभारंभ शुभारम्भ पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ किया। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायणने अपने संबोधनमें कहा कि न्यायाधीश का प्रमुख कर्तव्य वादकारी की सेवा करना है। उन्होंने विद्यार्थियोंको संबोधित करते हुए कहा कि मूट कोर्ट प्रतियोगिता न केवल गहन विधिक ज्ञान प्रदान करती हैं, बल्कि विद्यार्थियों में अधिवक्ता कौशल और तर्क प्रस्तुत करने की क्षमताको भी विकसित करती हैं। उन्होंने न्यायालयों में शांतचित्त और विनम्रता के महत्व पर बल देते हुए कहा कि बौद्धिक क्षमता जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण विनम्रता भी है।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति प्रो. कामेश्वर नाथ सिंह ने कहा कि इस प्रकारकी मूट कोर्ट प्रतियोगिताएँ युवा विधि विद्यार्थियों के बीच समकालीन मानवाधिकार मुद्दों, विशेषकर निजता के प्रति जागरूकता को सुदृढ़ करती हैं। उन्होंने 'वन सोल 'एक आत्मा' की अवधारणा का उल्लेख करते हुए कहा कि विधि के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समाज में दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक है। उन्होंने मुख्य अतिथि का विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस तीन दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पधारनेके लिए हार्दिक आभार भी व्यक्त किया।

जन सम्पर्क पदाधिकारी मोहम्मद मुदस्सीर आलम ने बताया कि उद्घाटन समारोहमें न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण एवं कुलपति प्रो. कामेश्वर नाथ सिंह द्वारा प्रतियोगिताके स्मारिका का भी अनावरण किया गया। कार्यक्रम के औपचारिक उद्घाटन के पश्चात स्कूल आफ ला एंड गवर्नेंस के अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष प्रो. अशोक कुमारने सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि मूट कोर्ट सोसाइटी इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आयोजन के माध्यम से विधि छात्रों के बीच गंभीर विधिक विमर्श और व्यावहारिक अधिवक्ता कौशल को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

मूट कोर्ट सोसाइटी के फैकल्टी कोआर्डिनेटर मणि प्रतापने अपने संबोधन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से इस प्रतियोगिता के आयोजन को विश्वविद्यालय के लिए गौरवपूर्ण अवसर बताया। प्रतिभागियो के प्रोत्साहन हेतु, कुल 1 लाख 44 हजार रुपयो की पुरस्कार राशि आपेक्षित है। साथ ही उन्होंने प्रतिभागियोंको प्रतियोगिताकी रूपरेखा एवं कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक जानकारी भी प्रदान की। कार्यक्रम का समापन मूट कोर्ट सोसाइटी की सह-समन्वयक डा. कुमारी नीतू द्वारा प्रस्तुत औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

ETV Bharat, Online News, 13/03/2026

Source: https://www.etvbharat.com/en/state/three-jamui-doctors-suspended-over-alleged-post-mortem-report-manipulation-in-custodial-death-case-enn26031207872

Three Bihar Doctors Suspended Over Alleged Post-Mortem Report Manipulation In Custodial Death Case

According to the allegations, the doctors intentionally omitted crucial findings from the post-mortem report and concealed blood stains while preparing the report.

Jamui: Three doctors of Jamui Sadar Hospital in Bihar have been suspended for allegedly concealing crucial facts in a post-mortem report related to a death in police custody. The Health Department has suspended Dr. Syed Naushad Ahmad, Deputy Superintendent of Jamui Sadar Hospital, along with two medical officers, Dr. Devendra Kumar and Dr. Nagendra Kumar, with immediate effect. The action follows serious allegations that the doctors manipulated details in the post-mortem report of a man who died in police custody.

On February 22, 2020, Sidhu Koda, also known as Munshi Da, a resident of Nehaldih in the Chakai area, died in police custody. According to the allegations, the doctors intentionally omitted crucial findings from the post-mortem report and concealed blood stains while preparing the report.

A judicial inquiry conducted by a magistrate in Jamui exposed the alleged irregularities. The report stated that blood was coming from the victim's nose, ears and mouth and that there were cut marks on the body. However, the doctors reportedly failed to mention these injuries in the post-mortem report.

The inquiry also found that established procedures were ignored during the autopsy. No independent external witness was recorded during the post-mortem, and the exact cause of death was not clearly stated in the report.

When the matter reached the NHRC in New Delhi, the commission took serious note of the alleged negligence. In an order dated October 29, 2025, the NHRC directed authorities to initiate strict disciplinary action against the medical team responsible for altering the report.

Following these directions, the Bihar Health Department issued a suspension order on March 10, 2026. The three doctors have been suspended under provisions of the Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005. During the suspension period, their headquarters will remain the Health Department office in Patna, and they will receive only subsistence allowance.

Officials said the suspension is only the beginning, and a detailed departmental inquiry will be conducted into the serious allegations against the doctors. The order confirming the action was issued by Upendra Ram, Under Secretary in the state government, after approval from the competent authority.

Source: https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/raisen-raisen-fort-priyank-kanoongo-national-human-rights-commission-raisen-cannon-controversy-8430647

बिना NOC के रायसेन किले से कैसे चल रही तोप? प्रियंक कानूनगो ने प्रशासन की अनुमति को बताया अवैध

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो गुरुवार दोपहर में रायसेन किले की उस प्राचीर पर पहुंचे जहां से तोप चलाई जाती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आज शाम से तोप चलना बंद हो जाना चाहिए।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो गुरुवार दोपहर में रायसेन किले की उस प्राचीर पर पहुंचे जहां से तोप चलाई जाती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आज शाम से तोप चलना बंद हो जाना चाहिए। कानूनगो ने पुरातत्व विभाग से मौके पर एनओसी मांगी, ऐसी कोई एनओसी विभाग के अधिकारी दिखा नहीं पाये। प्रियंक कानूनगो ने प्रशासन द्वारा जारी अनुमति पर सवाल उठाये। आयोग सदस्य ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अगर तोप का संचालन बंद नहीं हुआ तो कलेक्टर पर कार्रवाई के लिए वे सरकार को लिखेंगे।

वन विभाग और पुरातत्व नियमों का उल्लंघन

कानूनगो ने यह भी कहा कि यह क्षेत्र वन विभाग के 100 मीटर दायरे में आता है और इसे टाइगर क्षेत्र भी माना जाता है। इसलिए वन और पुरातत्व दोनों विभागों की अनुमति जरूरी है। प्रियंक कानूनगो ने कहा कि प्रशासन द्वारा तोप चलाने की दी गई अनुमति विधिसंगत नहीं है। उनका कहना है कि कलेक्टर को जिस तरह के बैरल के लाइसेंस देने का अधिकार है, उसमें 70 एमएम या उससे बड़े तोप के बैरल का लाइसेंस शामिल नहीं है।

लाइसेंस प्रक्रिया और सुरक्षा पर सवाल

उन्होंने कहा कि ऐसा लाइसेंस देने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से अनुमति लेना अनिवार्य है। कानूनगो ने कहा कि प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि तोप चलाने में किस प्रकार के केमिकल और बारूद का उपयोग किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 5 दिन पूर्व रायसेन किले से तोप के चलते समय चार युवकों द्वारा रील बनाने के बाद किले से तोप चलाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है।

हिंदू संगठनों का अल्टीमेटम और आंदोलन की चेतावनी

दो दिन पहले ही रायसेन के हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देते हुए तोप बंद करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सात दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर तोप का संचालन बंद नहीं होता है तो आंदोलन किया जाएगा।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

ABP Live, Online News, 13/03/2026

Source: https://www.abplive.com/states/madhya-pradesh/raisen-fort-cannon-row-nhrc-halts-70-yr-ramzan-tradition-cites-safety-legal-flaws-ann-3100632#google_vignette

रायसेन: रमजान में तोप चलने पर NHRC की रोक, कहा- बारूद का आतंकी इस्तेमाल होने की आशंका

Raisen Fort News: मध्य प्रदेश के रायसेन किले की 70 साल पुरानी रमजान में तोप दागने की परंपरा विवादों में घिर गई है. ईरान के समर्थन वाले वायरल वीडियो के बाद NHRC ने संज्ञान लिया.

मध्य प्रदेश के रायसेन स्थित ऐतिहासिक किले की प्राचीर से रमजान के महीने में रोजा इफ्तार और सहरी के वक्त तोप दागे जाने की 70 साल पुरानी परंपरा अब बड़े विवाद में तब्दील हो गई है. ईरान के समर्थन में नारेबाजी वाले एक वायरल वीडियो के बाद हिंदू संगठनों के विरोध पर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लिया है.

आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के नेतृत्व में एक टीम ने रायसेन किले पर पहुंचकर मामले की गहन जांच की है. जांच के दौरान कई चौंकाने वाले कानूनी पेंच सामने आए हैं, जिसके बाद आयोग ने तोप के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं.

कलेक्टर और SDM पर होगी कार्रवाई की चेतावनी

किले का पैदल मुआयना करने के बाद NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कलेक्टर को इस तोप को चलाने के लिए लाइसेंस देने का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं है. उन्होंने कहा कि पुरातत्व विभाग (ASI) और वन विभाग की 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) के बिना ही जिला प्रशासन द्वारा तोप चलाने की अनुमति कैसे और क्यों दी जा रही थी?

बारूद और आतंकी कनेक्शन की आशंका

कानूनगो ने इस बात की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है कि तोप में भरने के लिए कौन सा बारूद (या RDX) इस्तेमाल हो रहा है और वह कहां से आता है? उन्होंने इस बारूद के आतंकी गतिविधियों में प्रयोग होने की शंका भी जताई है.

अधिकारियों को अल्टीमेटम

आयोग ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अब यदि किले से तोप चलती है, तो सीधे कलेक्टर और SDM के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जानमाल का खतरा: रिहायशी इलाके पर चलती है तोप

आयोग ने तोप के संचालन को सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद खतरनाक बताया है. जिस दिशा में तोप का मुंह है और जहां इसे चलाया जाता है, उसके ठीक नीचे घना रिहायशी इलाका है. इससे न केवल स्थानीय निवासियों की जान को बड़ा खतरा है, बल्कि तोप चलाने वाले व्यक्तियों के साथ भी कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है.

कैसे शुरू हुआ यह पूरा विवाद?

दरअसल, रायसेन में रमजान के दौरान तोप चलाने की यह परंपरा लगभग 70 साल पुरानी है. लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ दिनों पहले भोपाल से रायसेन पहुंचे तीन युवकों ने तोप चलाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला. आरोप है कि इस वीडियो को एडिट करके उसमें 'ईरान के समर्थन' में भड़काऊ नारेबाजी जोड़ी गई थी.

वीडियो वायरल होने के बाद मामला गरमा गया और जिले के 11 हिंदूवादी संगठनों ने एकजुट होकर तोप बंद कराने के लिए रायसेन कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. इसके बाद मानवाधिकार आयोग में भी इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद दिल्ली से आयोग की टीम को रायसेन में उतरना पड़ा.

Times of India, Online News, 13/03/2026

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/30-teams-compete-at-moot-court-contest/articleshowprint/129520952.cms?val=3728

30 teams compete at moot court contest

Patna: Uttar Pradesh Human Rights Commission chairman and Allahabad high court Justice Bal Krishna Narayan on Thursday said that the primary duty of a judge is to serve litigants and protect their genuine and lawful interests.

Speaking as the chief guest at the inauguration of the NHRC–CUSB Moot Court Competition 2026, organised by the School of Law and Governance at the Central University of South Bihar (CUSB), Justice Narayan said moot court competitions not only impart legal knowledge but also cultivate advocacy skills and the ability to present arguments among students. Emphasising the importance of composure and humility in courts, he asserted that humility is as important as intellectual prowess.

CUSB vice-chancellor K N Singh, in his presidential address, observed that such moot court competitions reinforce awareness of contemporary human rights issues—particularly the right to privacy—among young law students. Citing the concept of "one soul", he said a shift in societal mindset is essential for the effective implementation of laws.

Moot Court Society convener Mani Pratap said as many as 30 teams from law institutions across the country participated in the national-level competition. A total prize money of Rs 1.44 lakh was awarded to the winners to encourage the participants.

Source: https://www.thehindu.com/news/national/karnataka/hubballi-encounter-death-karnataka-high-court-orders-inquiry-by-judicial-magistrate/article70735438.ece

Hubballi encounter death: Karnataka High Court orders inquiry by judicial magistrate

The High Court of Karnataka has ordered an inquiry by a judicial magistrate into the death of a migrant worker in a police encounter in Hubballi on April 13, 2025 after he was arrested on charges of allegedly raping and murdering a five-year-old girl.

A Division Bench, comprising Chief Justice Vibhu Bakhru and Justice C.M. Poonacha, passed the interim order on a PIL petition filed by the People's Union of Civil Liberties (PUCL), Karnataka.

Ritesh Kumar, 35, a migrant worker from Bihar, was shot dead after he allegedly tried to strangle a woman police constable while trying to escape from police custody.

The court on April 15, 2025 directed the State government to follow scrupulously the guidelines issued by the Supreme Court in 2014 regarding the deaths of accused/suspected persons in police encounters.

However, it was argued on behalf of the petitioner that a separate first information report (FIR) should have been registered on the incident of death in the encounter by naming the police officers/personnel involved in the encounter, in addition to the FIR registered against the accused person, and a judicial inquiry into the death in encounter should be conducted as per apex court's 2014 guidelines.

Advocate-General K. Shashi Kiran Shetty told the Bench that the State government had no objection to conduct a judicial inquiry, while pointing out that the government did refer the case for conduct of an inquiry by a judicial magistrate, but the reference was rejected due to misreading of the apex court's guidelines.

The Advocate-General, however, said that there was no need to register a separate FIR or naming the police officers/ personnel in the FIR as the incident of encounter was officially recorded and the investigation into the cause of death of the accused person while in the police custody was referred to the Criminal Investigation Department.

"There is no cavil that an inquiry be conducted by a judicial magistrate," the Bench observed on noting the apex court's guidelines.

The Bench also said that the judicial magistrate concerned should bear in mind the guidelines issued by the National Human Rights Commission for conducting an inquiry in cases of death in custody or in the course of police action. The report of the inquiry by the judicial magistrate has to be submitted to the court on June 8, the next date of hearing on the petition.

Source: https://www.orissapost.com/nhrc-seeks-reports-on-lack-of-basic-amenities-in-cuttack/

NHRC seeks reports on lack of basic amenities in Cuttack

Bhubaneswar: The National Human Rights Commission (NHRC) Wednesday asked the state government to furnish reports within four weeks on the alleged lack of basic amenities in and around Ward-56 of the Cuttack Municipal Corporation (CMC).
The apex rights body's move came while hearing a plea filed by advocate Akshaya Kumar Pandey and a few residents of the locality.
In the petition, they alleged that though Ward-56 has been a part of the civic body for decades now, over 50,000 residents continue to suffer due to a lack of basic amenities such as drainage, pucca roads, streetlights and bus services.
They also raised concerns over the unsafe condition of the Kuakhai river bridge, unrestricted heavy vehicle movement on it, and the alleged negligence of authorities towards the issue, which they claim violates their fundamental and human rights.
Seeking urgent intervention from the NHRC, the petitioners urged the rights body to issue directions to the authorities concerned to provide essential facilities and ensure the safety of residents at the earliest.
"These issues directly implicate Article 21 of the Constitution of India, which guarantees the right to life and personal liberty," the NHRC observed.
The apex rights body asked the Chief Secretary, Director General of Police, Principal Secretary of the Commerce and Transport department, Cuttack Collector, and CMC Commissioner to submit reports on the issue within four weeks.

Lokmat Times, Online News, 13/03/2026

Source: https://www.lokmattimes.com/national/mp-nhrc-demands-action-on-misuse-of-cannon-at-asi-protected-raisen-fort/

MP: NHRC demands action on misuse of cannon at ASI-protected Raisen Fort

Raisen, March 12 Member of the National Human Rights Commission (NHRC) Priyank Kanoongo on Thursday met with senior...

Raisen, March 12 Member of the National Human Rights Commission (NHRC) Priyank Kanoongo on Thursday met with senior officials of the Raisen District Magistrate, Superintendent of Police (SP), and the Regional Director regarding a case related to illegal cannon firing from Raisen Fort.

During the meeting held at the regional office of the Archaeological Survey of India (ASI) in Raisen, the Commission member raised the issue of misuse of the cannon and the preventive actions required from the concerned authorities.

He also expressed serious concern over the lack of coordination among authorities, which allowed miscreants to misuse an ASI-protected historic monument and create panic among residents by firing the cannon illegally.

The NHRC member suggested better coordination among the authorities and demanded action against those who fired the cannon as well as against the responsible officials.

After the meeting, Kanoongo said, "We have told the concerned officials to identify those who are at fault and take corrective action. I am telling the truth: if we take strict action, even the existing legal provisions may not be enough. Correcting this is necessary for the administration, the country, and for the safety of Raisen's residents."

CORR CEPTION

CORROW

The development came two days after the Commission had issued notices to the District Magistrate and Superintendent of Police of Raisen, the Regional Director of the Archaeological Survey of India (ASI) in Bhopal, and the Secretary of the Union Ministry of Culture over allegations of unauthorised use of a cannon at the Fort.

The notice was issued following cognisance of a complaint alleging that the protected monument, which falls under the jurisdiction of the ASI, has witnessed unauthorised daily firing of a cannon by certain individuals.

The complainant also referred to a video on social media purportedly showing individuals making provocative statements in support of foreign countries, raising concerns about national security and communal harmony.

The complainant requested a high-level investigation into the incident, strict legal action against the youths allegedly involved, an immediate ban on the use of the cannon at the site, and accountability of officials who permitted access to the weapon.

Patrika, Online News, 13/03/2026

Source: https://www.patrika.com/amp/kota-news/iran-us-conflict-big-update-on-110-indian-students-will-return-india-include-kotas-maz-haider-20420092

ईरान-अमरीका युद्ध के बीच आई बड़ी अपडेट, अब आर्मेनिया होते हुए भारत पहुंचेंगे कोटा के माज समेत 110 भारतीय छात्र

MBBS Student Maz Haider: ईरान और अमरीका के बीच जारी तनावपूर्ण हालात के बीच ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। उर्मिया मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे कोटा निवासी माज हैदर समेत 110 भारतीय छात्रों को अब सड़क मार्ग से आर्मेनिया पहुंचाया जाएगा।

110 Indian Student Will Return Safely: ईरान और अमरीका के बीच जारी युद्ध के हालातों के बीच ईरान की उर्मिया मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में फंसे कोटा निवासी छात्र माज हैदर सहित 110 छात्रों को सुरक्षित भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एयरस्पेस बंद होने के कारण छात्रों को सीधे उड़ान से नहीं लाया जा सकता। इसलिए उन्हें पहले सड़क मार्ग से आर्मेनिया पहुंचाया जाएगा। इसके बाद वहां से दुबई होते हुए नई दिल्ली लाया जाएगा। परिवार वालों को इस बात की खबर लगते ही जश्न का माहौल शुरू हो गया और बच्चों के घर आने की तैयारियां शुरू कर दी है।

राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक और बूंदी के कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने छात्रों की सुरक्षित वापसी को लेकर नई दिल्ली में संबंधित संस्थाओं से हस्तक्षेप की मांग की है। शर्मा ने बताया कि ईरान स्थित भारतीय दूतावास और विश्वविद्यालय प्रशासन के समन्वय से छात्रों को उर्मिया से आर्मेनिया बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा, जहां से आगे की यात्रा की व्यवस्था की जाएगी।

शर्मा ने इस मामले को गंभीर मानते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर की थी। बुधवार को उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय पहुंचकर भी ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन नरेंद्र मोदी, एस. जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के नाम दिया गया, जिसमें छात्रों की शीघ्र और सुरक्षित वापसी के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है।

उन्होंने कहा कि उर्मिया विश्वविद्यालय से आर्मेनिया सीमा तक यात्रा के दौरान भी भारत सरकार को युद्ध में शामिल देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक समन्वय कर छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

परिजन लगातार चिंतित

उधर पिछले 11 दिनों से ईरान में फंसे छात्रों के परिजन लगातार चिंता में हैं। कोटा निवासी छात्र माज हैदर के मामा जुनैद फारुखी ने बताया कि ईरान पर इजराइल और अमरीका की बमबारी के बीच परिजनों के लिए हर पल भारी पड़ रहा है। सभी परिवार अपने बच्चों की सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहे हैं।

Source: https://www.jagran.com/madhya-pradesh/bhopal-raisen-fort-cannon-firing-controversy-escalates-amid-nhrc-warning-40169773.html?utm_source=article_detail&utm_medium=CRE&utm_campaign=latestnews_CRE

रायसेन किले की 'रस्मी' तोप पर विवाद : कानूनगो ने दोपहर में कहा- नहीं दगनी चाहिए... इफ्तारी पर फिर भी हुआ धमाका

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने रायसेन किले से रमजान में तोप चलाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने इसे पुरातत्व और वन नियमों का उल्लंघन बताते हुए तत्काल बंद करने की चेतावनी दी। हालांकि, उनके निर्देशों के बावजूद शाम को तोप दागी गई।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। रमजान के महीने में रायसेन शहर में स्थित किले से चलने वाली तोप पर बवाल बढ़ गया है। गुरुवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो रायसेन किले की उस प्राचीर पर पहुंचे जहां से तोप चलाई जाती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आज शाम से तोप चलना बंद हो जाना चाहिए।

उनके निर्देशों के बावजूद शाम को इफ्तारी का समय होने पर पारंपरिक रूप से तोप दागी गई। इस पर कानूनगो ने प्रशासन से तोप चलाने की अनुमति मांग ली, अधिकारियों ने उन्हें बताया कि परंपरा के तहत इसकी अनुमति कलेक्टर की ओर से जारी होती है।

वन विभाग व पुरातत्व नियमों का उल्लंघन

कानूनगो ने इसे पुरातत्व और वन कानूनों का उल्लंघन बताते हुए एएसआई और वन विभाग की एनओसी मांगी। प्रियंक कानूनगो का कहना है कि यह क्षेत्र वन विभाग के 100 मीटर के दायरे में आता है, इसे टाइगर क्षेत्र भी माना जाता है। इसलिए वन और पुरातत्व दोनों विभागों की अनुमति जरूरी है।

प्रशासन की अनुमति पर सवाल

उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा जारी अनुमति विधिसंगत नहीं है। कलेक्टर को जिस तरह के बैरल के लाइसेंस देने का अधिकार है, उसमें 70 एमएम या उससे बड़े तोप के बैरल का लाइसेंस शामिल नहीं है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं एक्सप्लोसिव सेफ्टी आर्गेनाइजेशन से अनुमति भी जरूरी है। प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि तोप चलाने में किस प्रकार के बारूद का उपयोग किया जा रहा है। कानूनगो ने प्रशासन को चेतावनी दी कि गुरुवार शाम से तोप चलना बंद हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो वे सरकार को पत्र लिखेंगे।

नारेबाजी के वीडियो ने बिगाड़ा माहौल

बता दें कि पांच दिन पहले इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो बहुप्रसारित हुआ था, जिसमें चार लड़के तोप के पास खड़े होकर ईरान के समर्थन में उत्तेजक नारेबाजी करते दिखे। इस पर हिंदू संगठनों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रशासन को पत्र लिखकर जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

हिंदू संगठनों का अल्टीमेटम

यहां पर यह भी बता दें कि दो दिन पहले ही रायसेन के हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देते हुए तोप बंद करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सात दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर तोप का संचालन बंद नहीं होता है तो आंदोलन किया जाएगा।

Source: https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/jamui/three-doctors-suspended/amp

नक्सली जोनल कमांडर सिद्धु कोड़ा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनियमितता मामले में तीन चिकित्सक निलंबित

स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2020 में एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर अनियमितता पाये जाने के आरोप में सदर अस्पताल जमुई के तीन चिकित्सकों को निलंबित कर दिया है.

जमुई. बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2020 में एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर अनियमितता पाये जाने के आरोप में सदर अस्पताल जमुई के तीन चिकित्सकों को निलंबित कर दिया है. निलंबित किये गये चिकित्सकों में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ सैयद नौशाद अहमद, डॉ नागेंद्र कुमार, डॉ देवेंद्र कुमार शामिल हैं. इस संबंध में विभाग के अपर सचिव उपेंद्र राम ने आदेश जारी किया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, नक्सली कमांडर सिद्धु कोड़ा उर्फ मुंशी दा की 22 फरवरी 2020 को पुलिस हिरासत में मौत हो गयी थी. इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया था. बाद में सामने आयी रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करते समय चिकित्सकीय दल ने कई महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख नहीं किया. बताया जाता है कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करायी गयी थी. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जमुई के पत्रांक 117 दिनांक 22 अक्तूबर 2021 के माध्यम से स्व सिद्धु कोड़ा के अंत्य परीक्षण से संबंधित वीडियो ग्राफी एवं रिपोर्ट का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया था. जांच में पाया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक दल ने बाहरी व्यक्तियों को स्वतंत्र गवाह के रूप में दर्ज नहीं किया तथा मृत्यु के कारण को चिह्नित करने वाली महत्वपूर्ण विशिष्टताओं का भी उल्लेख नहीं किया गया है. रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि मृतक के नाक, कान और मुंह से खून निकलने व शरीर पर कटे के निशान का जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं किया गया. यह मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है. आयोग ने 29 अक्तूबर 2025 को पारित आदेश में पोस्टमार्टम प्रतिवेदन जारी करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था. आयोग के निर्देश और मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तीनों चिकित्सकों को बिहार सरकारी सेवा नियमावली के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पटना निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जायेगा. विभाग ने इस मामले में विस्तृत जांच कर आगे की कार्रवाई करने की भी बात कही है. इस संबंध में पुष्टि करते हुए वर्तमान सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि नक्सली कमांडर सिद्धु कोड़ा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी के आरोप को लेकर यह निलंबन की कार्रवाई की गयी है. साथ ही, तीनों चिकित्सक पर एफआइआर करने का भी आदेश दिया गया है.

नक्सली संगठन का जोनल कमांडर था सिद्धु कोड़ा

जमुई. जिले के चकाई थाना क्षेत्र के नेहालडीह गांव हार्डकोर नक्सली सिद्धु कोड़ा लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय था. वह माओवादी संगठन में जोनल कमांडर के रूप में काम करता था और जमुई, लखीसराय, बांका सहित बिहार-झारखंड की सीमा से लगे कई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उसका प्रभाव माना जाता था. सिद्धु कोड़ा बिहार-झारखंड क्षेत्र का कुख्यात नक्सली जोनल कमांडर था, जिस पर कई बड़े नक्सली हमले और आपराधिक मामलों का आरोप था. इसके ऊपर बिहार व झारखंड सरकार ने 11 लाख का इनाम भी घोषित किया था. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी, विस्फोट और सुरक्षा बलों पर हमले सहित 70 से अधिक संगीन मामले दर्ज थे. साथ ही झारखंड राज्य के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के पुत्र की हत्या में भी शामिल था. 22 फरवरी 2020 को झारखंड एसटीएफ की टीम ने उसे झारखंड के दुमका रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद जमुई पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए जमुई लाया गया था. पूछताछ के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गयी थी और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया जहां जांच के बाद चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया था. इसी मामले के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर बाद में विवाद सामने आया और जांच की प्रक्रिया शुरू हुई.

कई बड़े मामलों ने नामजद था जोनल कामांडर सिद्धु कोड़ा

– वर्ष 1998, जमुई के खैरा क्षेत्र में पेट्रोलिंग टीम को विस्फोट से उड़ाया, जिसमें एक मजिस्ट्रेट सहित 3 लोगों की मौत हुई थी.

– वर्ष 2003, जमुई के डीएम और एसपी के काफिले पर हमला, जिसमें एक पुलिस अधिकारी की मौत हुई थी.

– वर्ष 2014, नवादा-जमुई सीमा के महुलीटांड़ इलाके में बड़े नक्सली हमले में कई सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई थी.

टाइमलाइन : सिद्धु कोड़ा केस

22 फरवरी 2020 : झारखंड के दुमका रेलवे स्टेशन से एसटीएफ ने सिद्धु कोड़ा को गिरफ्तार किया

22 फरवरी 2020 : गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई2021 : पोस्टमार्टम से संबंधित वीडियोग्राफी और रिपोर्ट न्यायिक दंडाधिकारी को उपलब्ध कराई गई

29 अक्टूबर 2025 : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया

2026 : स्वास्थ्य विभाग ने सदर अस्पताल जमुई के तीन चिकित्सकों को निलंबित किया

Dainik Jagran, Online News, 13/03/2026

Source: https://www.jagran.com/haryana/panchkula-compensation-given-for-death-and-harassment-in-police-custody-new-policy-draft-prepared-40169613.html?utm_source=article_detail&utm_medium=CRE&utm_campaign=latestnews_CRE

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: पुलिस हिरासत में मौत और उत्पीड़न पर मिलेगा मुआवजा, नई नीति का मसौदा तैयार

हरियाणा सरकार पुलिस हिरासत में मौत और उत्पीड़न के मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने की तैयारी कर रही है। गृह विभाग ने नई नीति का मसौदा तैयार कर कानूनी राय के लिए महाधिवक्ता को भेजा है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब पुलिस हिरासत में मौत व उत्पीड़न के मामलों में भी पीड़ितों को मुआवजा देने की तैयारी है। गृह विभाग ने नई मुआवजा नीति का प्रारूप तैयार कर कानूनी राय के लिए महाधिवक्ता के पास भेज दिया है। न्यायिक हिरासत में अप्राकृतिक मौत के मामलों में पहले ही मुआवजे का प्रविधान किया जा चुका है।

पुलिस हिरासत में मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामले में सुनवाई के दौरान हरियाणा मानवाधिकार आयोग के समक्ष प्रतिवेदन में यह जानकारी साझा की गई। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन और महाधिवक्ता की टिप्पणी मिलने के बाद इसे वित्त विभाग की सहमति के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद अधिसूचना जारी कर नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने पुलिस महानिदेशक और प्रदेश सरकार से संस्थागत सुधारों, जवाबदेही और पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने की नीति के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर जगदीश चंदर (सेवानिवृत्त) पर लगाए गए दंड की पुनः समीक्षा के आदेश के तहत संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है।

मानवाधिकार आयोग की पहल पर ही न्यायिक हिरासत में कैदियों की अप्राकृतिक मौत के मामलों में मुआवजे के लिए 29 जून 2021 को नीति लागू की गई थी। इसके अनुसार, कैदियों के बीच झगड़े, जेल कर्मचारियों की यातना या पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी में लापरवाही के कारण कैदी की मौत होने पर साढ़े सात लाख रुपये मुआवजे का प्रविधान किया गया है।

चिकित्सा अधिकारियों या पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा लापरवाही के कारण मौत होने पर पांच लाख मुआवजा देने की नीति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी अपनाया है। मानवाधिकार आयोग के सहायक रजिस्ट्रार डॉक्टर पुनीत अरोड़ा ने बताया कि मामले को अगली सुनवाई के लिए 22 अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया है।

Dainik Bhaskar, Online News, 13/03/2026

Source:
https://www.bhaskar.com/amp/local/rajasthan/bundi/news/congress-leader-appeals-foreign-ministry-students-return-iran-137416091.html

ईरान से 110 भारतीय छात्र आर्मेनिया के रास्ते लौटेंगे:कांग्रेस नेता ने विदेश मंत्रालय से की छात्रों को सकुशल वापस लाने की अपील

ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी तनाव के कारण ईरान की उर्मिया मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में फंसे 110 भारतीय छात्रों को आर्मेनिया के रास्ते भारत वापस लाया जाएगा। इनमें कोटा निवासी छात्र माज हैदर भी शामिल हैं। यह निर्णय ईरान में एयरस्पेस बंद होने के चलते लिया गया है।
ईरान स्थित भारतीय दूतावास और उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सभी छात्र पहले उर्मिया विश्वविद्यालय से आर्मेनिया बॉर्डर पार कर आर्मेनिया पहुंचेंगे। इसके बाद वे आर्मेनिया से दुबई होते हुए नई दिल्ली आएंगे।
राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक और बूंदी के कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा छात्रों की सकुशल वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय छात्रों की शीघ्र सुरक्षित वापसी को लेकर बुधवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्यालय पहुंचकर छात्रों को सकुशल लाने का आग्रह किया।
शर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपकर छात्रों को सकुशल वापस लाने की अपील की।
उन्होंने भारत सरकार से युद्ध में शामिल देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक समन्वय के माध्यम से उर्मिया विश्वविद्यालय से आर्मेनिया बॉर्डर तक की यात्रा के दौरान भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया।
परिजनों के लिए एक-एक पल काटना मुश्किल हुआ

बुधवार को शर्मा ने नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री कार्यालय विदेश मंत्रालय व राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों को ईरान में फंसे हुए भारतीय छात्रों के विषय मे उनके परिजनों की सुरक्षा चिताओं से अवगत करवाया।
ईरान पर इजराइल और अमेरिका की भीषण बमबारी के बीच पिछले 11 दिनों से ईरान के उर्मिया विश्वविद्यालय में फंसे हुए भारतीय छात्रों के परिजन छात्रों की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक चिंतित है।
कोटा निवासी छात्र माझा हैदर के मामा जुनैद फारुखी ने कहा कि छात्रों के परिजनों के लिए अब एक-एक पल निकालना भारी पड़ रहा है।
भारतीय छात्रों के मानवाधिकारों की रक्षा की मांग
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के राष्ट्रीय कार्यालय मानव अधिकार भवन पहुंचकर चर्मेश शर्मा ने आयोग से भारतीय छात्रों के मानव अधिकारों की रक्षा का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जीवन की सुरक्षा सबसे बड़ा मानव अधिकार है और वहां पर युद्ध के बीच में किस जगह कहां पर बम गिर जाये और जीवन की क्षति हो जाये यह नहीं कहा जा सकता है।

ETV Rajasthan, Online News, 13/03/2026

Source: https://www.etvbharat.com/amp/hi/state/indian-students-stranded-in-iran-will-be-brought-to-india-via-armenia-route-via-dubai-rajasthan-news-rjs26031205728

ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की होगी वतन वापसी, आर्मेनिया होते हुए भारत पहुंचेंगे 110 छात्र

युद्ध के बीच ईरान की यूनिवर्सिटी में फंसे भारतीय छात्रों को एयरस्पेस बंद होने के कारण आर्मेनिया रूट से दुबई होते हुए भारत लाया जाएगा.
बूंदी: ईरान, इजरायल व अमेरिका के भीषण युद्ध के बीच ईरान की उर्मिया मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में फंसे कोटा निवासी छात्र माज हैदर सहित 110 भारतीय छात्रों को ईरान में एयरस्पेस बंद होने के कारण आर्मेनिया के रास्ते भारत लाया जाएगा. ईरान स्थित भारतीय दूतावास और उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी के अनुसार सभी छात्र पहले उर्मिया विश्वविद्यालय से आर्मेनिया बॉर्डर क्रॉस कर आर्मेनिया पहुंचेंगे. उसके बाद आर्मेनिया से दुबई होते हुए नई दिल्ली आएंगे.
भारतीय छात्रों की शीघ्र सुरक्षित वापसी को लेकर राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक व बूंदी कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने गत दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम याचिका दायर की थी. बुधवार को उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और आयोग अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा तथा तत्काल कार्यवाही की मांग की. शर्मा ने यात्रा के दौरान भारत सरकार से युद्धरत देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक समन्वय कर छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील भी की.
परिजनों के लिए एक-एक पल काटना मुश्किल:चर्मेश शर्मा ने अधिकारियों को छात्रों के परिजनों की गहरी चिंता से अवगत कराया. पिछले 11 दिनों से युद्ध के बीच फंसे छात्रों के परिवार हर पल चिंतित हैं. कोटा निवासी छात्र माज हैदर के मामा जुनैद फारुखी ने कहा कि अब एक-एक पल निकालना भारी पड़ रहा है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचकर चर्मेश शर्मा ने कहा कि जीवन की सुरक्षा सबसे बड़ा मानवाधिकार है. युद्ध में कहीं भी बम गिर सकता है, जीवन की क्षति हो सकती है. आयोग भारतीय छात्रों के मानवाधिकारों की तत्काल रक्षा सुनिश्चित करे.

Source: https://vocaltv.in/national/nhrc-announce-short-film-winnphp/cid18357167.htm

मानवाधिकार पर आधारित सात लघु फिल्मों के विजेताओं की घोषणा

नई दिल्ली, 12 मार्च (हि.स.)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मानवाधिकारों पर आधारित लघु फिल्मों की अपनी 11वीं वार्षिक प्रतियोगिता के 7 विजेताओं की घोषणा की।

आयोग के अनुसार आयोग की जूरी ने देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 24 भाषाओं और बोलियों में प्राप्त 526 प्रविष्टियों में से पुरस्कार विजेता फिल्मों का चयन किया। उत्तर प्रदेश की सुश्री सारिका जैन द्वारा निर्मित लघु फिल्म 'रानी' ने प्रथम केरल के अमल एस. की फिल्म 'मीनवाइल शी ने द्वितीय और तमिलनाडु की साई शशांक ताती की फिल्म 'द डिलीवरी' ने तृतीय पुरस्कार जीता।

'रानी' फिल्म एक युवा महिला के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण से घरेलू कामगार महिलाओं की ओर से सामना किए जाने वाले वर्ग विभाजन असमानता और चुनौतियों को दर्शाती है तथा उनके मानवाधिकारों को प्रभावित करती है।

'मीनवाइल शी...' फिल्म लैंगिक रूढ़ियों और घरेलू हिंसा की चुनौतियों के बीच कामकाजी महिलाओं के मानवाधिकारों से संबंधित चिंताओं पर आधारित है।

'द डिलीवरी' फिल्म गिग कर्मचारियों के संघर्षों और उनके मानवाधिकारों से संबंधित चिंताओं को उजागर करती है।

इसके अलावा शिक्षा जेल सुधार बुजुर्ग आदिवासी दंपतियों के अधिकार और विधवाओं के अधिकारों से संबंधित मुद्दों को उजागर करने वाली चार फिल्मों को 'विशेष उल्लेख प्रमाण पत्र' के लिए चुना गया और 50 हजार रुपये का नकद पुरस्कार देने का भी निर्णय लिया गया।

इनमें पश्चिम बंगाल की फाल्गुनी भक्ता द्वारा निर्मित फिल्म 'मालती' उत्तर प्रदेश के रवि कर्णवाल द्वारा निर्मित फिल्म 'सेकंड चांस' महाराष्ट्र के दामोदर डी. पवार द्वारा निर्मित फिल्म 'डस्क ऑफ लाइफ और महाराष्ट्र के मनोज अप्पासो जनवेकर द्वारा निर्मित फिल्म 'भाग्यश्री' शामिल हैं।

Source: https://news4nation.com/bihar/jamui/bihar-health-department-suspends-jamui-doctors-postmortem-fraud-nhrc-action-151108

जमुई अस्पताल के उपाधीक्षक और 2 चिकित्सा पदाधिकारी निलंबित: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 'खून के निशान' छिपाना पड़ा भारी, NHRC के हंटर से हिला स्वास्थ्य महकमा!

मानवाधिकार आयोग के कड़े रुख के बाद बिहार स्वास्थ्य विभाग ने जमुई सदर अस्पताल के उपाधीक्षक और दो चिकित्सा पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन पर पुलिस हिरासत में हुई मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तथ्यों को छिपाने का संगीन आरोप है।

Jamui - बिहार के जमुई जिले में पुलिस हिरासत में हुई एक मौत के मामले में तथ्यों के साथ खिलवाड़ करने वाले तीन सफेदपोशों पर सरकार का डंडा चला है। स्वास्थ्य विभाग ने जमुई सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ० सैयद नौशाद अहमद सहित दो अन्य चिकित्सा पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने 22 फरवरी 2020 को चकाई के नेहालडीह निवासी सिद्ध कोडा उर्फ मुंशी दा की पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वास्तविक तथ्यों को जानबूझकर गायब कर दिया था।

नाक-मुँह से बहता खून और चोट के निशान किए गायब

न्यायिक दण्डाधिकारी, जमुई की जाँच रिपोर्ट में इस पूरे फर्जीवाड़े का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक के नाक, कान और मुँह से खून निकल रहा था और शरीर पर कटे के निशान मौजूद थे, लेकिन इन डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण चोटों का जिक्र तक नहीं किया। इतना ही नहीं, नियमों को ताक पर रखकर पोस्टमार्टम के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्वतंत्र गवाह के रूप में दर्ज नहीं किया गया और न ही मृत्यु के सही कारणों को स्पष्ट किया गया।

NHRC के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी स्ट्राइक

इस अमानवीय लापरवाही की गूँज जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), नई दिल्ली तक पहुँची, तो आयोग ने बेहद कड़ा रुख अपनाया। आयोग ने 29 अक्टूबर 2025 को आदेश पारित करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि रिपोर्ट में हेरफेर करने वाले इस चिकित्सीय दल के पदाधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। आयोग के इसी हंटर के बाद बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने हरकत में आते हुए 10 मार्च 2026 को निलंबन की अधिसूचना जारी की।

इन तीन 'दागी' डॉक्टरों पर गिरी गाज

निलंबित होने वाले अधिकारियों में जमुई सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. सैयद नौशाद अहमद , चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. देवेन्द्र कुमार और चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. नागेन्द्र कुमार शामिल हैं। इन तीनों को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत दोषी मानते हुए निलंबित किया गया है। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया और चिकित्सकीय ईमानदारी के साथ गंदा खेल खेलने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यालय पटना शिफ्ट, अब शुरू होगी विभागीय जाँच

निलंबन की अवधि के दौरान इन तीनों डॉक्टरों का मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया गया है और इन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता ही देय होगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है; इन पर लगे गंभीर आरोपों की गहराई से जाँच के लिए अलग से विभागीय कार्यवाही का संकल्प निर्गत किया जाएगा। सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बाद सरकार के अवर सचिव उपेन्द्र राम ने इस आदेश की पुष्टि की है।